मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

डीजी-परिपत्र सं0 - 37 /2021

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः सितम्बर 28 ,2021

विषयः- Hon'ble High Court Juvenile Justice Committee (HCJJC) की बैठक दिनांकित 31.05.2021 में पारित प्रस्ताव के बिन्दु-02(iii) के अनुपालन में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2019 तथा POCSO Act 2012 के प्राविधानों को लागू करने हेतु HCJJC द्वारा अनुमोदित नरेटिव के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

Hon'ble High Court Juvenile Justice Committee (HCJJC) की बैठक दिनांकित 31.05.2021 में पारित प्रस्ताव के बिन्दु-02 (iii) में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2019 तथा POCSO Act, 2012 के प्राविधानों को लागू करने हेतु HCJJC द्वारा अनुमोदित नरेटिव के आधार पर परिपत्र निर्गत करने हेतु निम्नवत प्रस्तावित किया गया था-

> "02(iii) The Director General of Police, U.P. shall issue a circular to all Superintendents of Police / Senior Superintendents of Police / Commissioners of Police throughout the State of U.P. mentioning therein the relevant provisions of the JJ Act 2015 and the Rules made thereunder regarding the procedure and the manner in which Children in conflict with law are to be dealt with. Such circulars shall be circulated by the Superintendents of Police / Senior Superintendents of Police / Commissioners of Police, as the case may be, to all Police Stations / Police Chowkis etc. for information of every personnel etc. so as to make them aware of the requirements of law which they are bound to follow. The Secretariat of the High Court Juvenile Justice Committee and the Directorate of Women Welfare shall in order to facilitate this exercise provide a narrative or summary of such provisions as have been referred hereinabove after placing the same before this Committee and seeking its approval in this regard whereupon the same shall be communicated to the Director General of Police, U.P. who shall do the needful as aforesaid."

Registrar (J)(D)/Presenting officer, High Court Juvenile Justice Committee (HCJJC) ने अपने पत्र संख्या:6458/JJC/2021:Lucknow दिनांकित

08.09.2021 द्वारा सूचित किया है कि HCJJC द्वारा दिनांक 18.08.2021 को सम्पन्न बैठक में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2019 तथा POCSO Act, 2012 के प्राविधानों को लागू करने के सम्बन्ध में नरेटिव अनुमोदित कर दिया गया है तथा अनुमोदित नरेटिव के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

Registrar (J)(D)/Presenting officer, High Court Juvenile Justice Committee (HCJJC) के पत्र दिनांकित 08.09.2021 तथा HCJJC द्वारा अनुमोदित नरेटिव की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। HCJJC द्वारा अनुमोदित नरेटिव में **"किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2019 तथा POCSO Act, 2012"** के सुसंगत प्राविधान तथा उन प्राविधानों के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही का स्पष्ट एवं विशिष्ट उल्लेख किया गया है। आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित अधिनियमों के विभिन्न प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में नरेटिव में अंकित दिशा-निर्देशों का स्वयं भलीभाँति अध्ययन करते हुये इन निर्देशों से सभी थानों तथा चौकियों पर तैनात पुलिस कर्मियों को विधिवत अवगत कराने का कष्ट करें तथा इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित करें। HCJJC द्वारा अनुमोदित निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की सतत् समीक्षा करते हुये अनुपालन में शिथिलता बरतने के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का भी कष्ट करें।

उक्त कार्यवाही Hon'ble High Court Juvenile Justice Committee (HCJJC) द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पूर्ण की जानी है, अतः आपका व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

संलग्नकः यथोपरि ।

भवदीय,

28/9/21

(मुकुल गोयल)

1. पुलिस आयुक्त,
   लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/वाराणसी/कानपुर नगर, उ0प्र0
2. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
   पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,उ0प्र0।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

23/21

मुख्यालय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उ0प्र0,

महानगर उ0प्र0 लखनऊ-226006
दूरभाष- 0522-2326200 ईमेल: ...

पत्र संख्याःम0रा0प्र0/डी0जी0/ प- /2021/366 दिनाँक : 13 सितम्बर, 2021

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक, (वि0प्र0)
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः–Regarding compliance of the resolution dt. 31-05-2021 passed by the Hon'ble High Court Juvenile Justice Committee (HCJJC) constituted for monitoring the implementation of the Juvenile Justice Act and the Rules in the State of U.P.

कृपया रजिस्ट्रार (जे)(डी)/प्रेसेन्टिंग आफीसर हाई कोर्ट, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के पत्र संख्या 6458/जेजेसी/2021, लखनऊ दिनांक 08.09.2021 (मय अनुलग्नक) तथा पत्र संख्या डीजी–दस–वि0प्र0–रिट–मिस/2021/1702 दिनांक 21.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0 उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के प्रतिवेदन दिनांकित 31.05.2021 के बिन्दु सं0 2 (III) पर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है।

प्रश्नगत प्रतिवेदन में किशोर न्याय (बालकों का देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में दिये गये प्राविधानों के प्रभावी कियान्वयन हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की ओर से परिपत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। सम्बन्धित अधिनियम तथा नियम के प्राविधानों का सारांश किशोर न्याय समिति, मा0 उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 08.09.2021 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

अतएव उक्त सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, किशोर न्याय समिति का पत्र दिनांक 08.9.2021 मय अनुलग्नक (छायाप्रति संलग्न) इस आशय से प्रेषित है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की ओर से परिपत्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

ASI (M) N.S.R

13/9/21
(नीरा रावत)
अपर पुलिस महानिदेशक,
महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन,
उ0प्र0 लखनऊ।

D.I.G.(P.G.),
DGP, H.Q.
U.P., Lucknow
15/9/21

पुलिस अधीक्षक (वि0प्र0)
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, 15/09
उ0प्र0, लखनऊ

प्रतिलिपिः–पुलिस उपमहानिरीक्षक, लोक शिकायत, उ0प्र0 को उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Uma work 2021 s/pu/s/pu letter6

Most Urgent
Through E-mail

From,

Vijendra Tripathi, H.J.S.,
Registrar (J)(D)/Presenting Officer
High Court Juvenile Justice Committee

To,

Director General of Police,
Uttar Pradesh

No. 6458 /JJC/2021 : Lucknow Dated- 08 September, 2021

Subject– Regarding compliance of the **resolution dt. 31.05.2021** passed by the Hon'ble High Court Juvenile Justice Committee (HCJJC) constituted for monitoring the implementation of the Juvenile Justice Act and the Rules in the State of U.P.

Sir,

This is in reference to **Resolution no. 2(III) of minutes dated 31.05.2021** of Hon'ble HCJJC for issuing a circular by Director General of Police, U.P to all Superintendents of Police/Senior Superintendents of Police/ Commissioners of Police regarding the procedure and the manner in which Children in conflict with law are to be dealt with. A narrative has been prepared in light of the provisions of JJ Act, 2015 and its State Rules, accordingly.

The resolution passed by Hon'ble Committee in this regard is quoted below:-

'2(III) The Director General of Police, U.P. shall issue a circular to all Superintendents of Police/Senior Superintendents of Police/ Commissioners of Police throughout the State of U.P. mentioning therein the relevant provisions of the JJ Act 2015 and the Rules made thereunder regarding the procedure and the manner in which Children in conflict with law are to be dealt with. Such circulars shall be circulated by the Superintendents of Police/Senior Superintendents of Police/Commissioners of Police, as the case may be, to all Police Stations/Police Chowkis etc. for information of every personnel etc. so as to make them aware of the requirements of law which they are bound to follow. The Secretariat of the High Court Juvenile Justice Committee and the Directorate of Women Welfare shall in order to facilitate this exercise provide a narrative or summary of such provisions as have been referred hereinabove after placing the same before this Committee and seeking its approval in this regard whereupon the same shall be communicated to the Director General of Police, U.P. who shall do the needful as aforesaid.'

Further, the aforementioned narrative has been approved by the Hon'ble

Committee in its meeting dated 18.08.2021 which is being enclosed herewith for kind consideration of your goodself and for further circulation to the concerned.

I am, therefore, to request you to kindly do the needful as per the directions of the Hon'ble Committee and submit compliance report at the earliest, so that the same may be placed before the Hon'ble Committee.

Encl.:- As above.

Yours Sincerely,

Registrar (J)(D)/Presenting Officer
High Court Juvenile Justice Committee

Copy to Mrs. Neera Rawat, Additional Director General of Police, Women & Child Safety Organization (in the Office of the D.G.P., U.P.) for information and necessary compliance.

28/09/2021

Registrar (J)(D)/Presenting Officer
High Court Juvenile Justice Committee

किशोर न्याय (बालको की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम–2015, उ0प्र0 नियमावली–2019 तथा पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंर्तगत "पुलिस", "विशेष किशोर पुलिस ईकाई" व "बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों" से संबंधित प्रावधान

किशोर न्याय (बालको की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम–2015:

देखभाल व संरक्षण की स्थितियों में प्राप्त बालकों के संबंध में (धारा 31/32/33/34 व नियम 18/69 (डी)/92):

- ✓ देखभाल व संरक्षण की स्थितियों में प्राप्त बालकों को 24 घंटों के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रारूप 17 के साथ प्रस्तुत करें (धारा 31 व नियम 18)।
- ✓ किसी पुलिस अधिकारी को यदि किसी ऐसे बच्चे के संबंध में जानकारी या स्वंय ऐसा बच्चा प्राप्त होता है जो खोया हुआ या परित्यक्त प्रतीत होता है, को वह शीध्र ही उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई या निकटतम पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण ईकाई, पंजीकृत संस्था अथवा चाइल्डलाइन 1098 को सौंपें (धारा 32)।
- ✓ यदि ऐसे बच्चों के संबंध में कोई सूचना निर्धारित अवधि के भीतर नही दी जाती है तो इसे अपराध माना जायेगा तथा इसके अंर्तगत 6 माह की सजा या 10000 तक का जुर्माना या दोनो हो सकते हैं (धारा 33/34)।
- ✓ यदि बालक की उम्र 2 वर्ष से कम है व वह अस्वस्थ है तो उसें पहले उपचार दिलाया जाये व उसकी सूचना बाल कल्याण समिति को फोटो सहित लिखित रूप में भेजें व उसके स्वस्थ होनें पर प्रमाण पत्रों के साथ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें (नियम 18)।
- ✓ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बालक को रात भर के लिये सुरक्षित आश्रय में भेजने हेतु बालकों की देख–रेख संस्था में लिखित आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ उन परिस्थितियों को जिनमें बालक पाया गया है व बालक की चिकित्सा स्थिति दर्शाने वाले सुसंगत दस्तावेजों की प्रति भी होगी। नियम 69 (डी–रात भर संरक्षणात्मक आवास)। उक्त आवेदन पर बालक को संस्था में एक रात के आवास की अनुमति दी जायेगी, ऐसा आवास रात के 8 बजे के बाद और अगले दिन 2 बजे तक हो सकता है।
- ✓ आवेदन पर संतुष्ट होने पर प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा प्रारूप–42 तीन प्रतियों में भरा जायेगा और बालक को प्राप्त किया जायेगा। प्रारूप की एक प्रति बाल देख–रेख संस्था के अभिलेख के रूप में रखी जायेगी, एक प्रति बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को दी जायेगी और तीसरी प्रति बोर्ड या संबंधित समिति को उनके अभिलेखों के लिये भेजी जायेगी। बालक को अगले दिन प्रारूप में दिये गये समय पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में सौंप दिया जायेगा। नियम 69 (घ)

- ✓ यदि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी दिये गये समय पर बालक का प्रभार नहीं लेता है, तो बाल देख–रेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसे तथ्यों का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट के साथ बालक को सबंधित बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। नियम 69 (घ)
- ✓ बालक की शारिरिक रूप से तलाशी ली जायेगी और उसका सारी व्यक्तिगत सामान, यदि कोई पाया जाता है तो, उसे लाने वाले बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जायेगा और वह सभी वस्तुओं का अभिग्रहण करेगा और ऐसे अभिग्रहण की एक प्रति प्राप्तकर्ता अधिकारी को भी देगा। नियम 69 (घ)
- ✓ बच्चों से बातचीत के दौरान सादे कपड़ो में होना आवश्यक है। किसी भी बच्चे के संपर्क में आने पर उसे सहज करने हेतु उसे मूलभूत सुविधायें व देखभाल दें, जैसे उसे खाना, पानी, आकस्मिक उपचार सुविधा, प्रसाधन व फोन इस्तेमाल करने देने की सुविधा, आदि। आवश्यकता अनुसार बालक को दुभाषिये, विशेष शिक्षक, उपयुक्त चिकित्सा या कोई अन्य सहायता उपलब्ध करायेगा।
- ✓ किसी भी बच्चे के गुमशुदा होने की जानकारी पर पुलिस तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी (नियम 92)। पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर त्वरित कार्यवाही हेतु उसकी प्रति विशेष किशोर पुलिस ईकाई को प्रेषित करेगी। विशेष किशोर पुलिस ईकाई/पुलिस गुमशुदा बच्चे की फोटो प्राप्त कर निर्धारित पोर्टलों पर अपलोड करेगी व हर संभव स्थान पर प्रचार कर बच्चे को खोजेगी। यदि 4 माह के भीतर ऐसे बच्चों का पता नहीं लगाया जा सकेगा, ऐसी स्थिति में ये मामले ए0एच0टी0यू0 को हस्तांतरित किये जायेंगें।
- ✓ ऐसे बच्चों के मिलने पर उनके पुर्नवास व पुर्नवापसी के किये जा रहे अपने प्रयासों को करते हुए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि बच्चे का सर्वोत्तम हित क्या है। प्राप्त हुए बच्चों (फुटपाथ पर रहने वाले, भीख मॉगने वाले, खोये हुए, बिछड़े हुए, बेघर, घर से भागे हुए व ऐसे बच्चे जिनके साथ देखभाल करने को कोई नहीं है) की विस्तृत जानकारी डी0डी0 इन्ट्री/विशेष किशोर पुलिस ईकाई द्वारा बताये गये रजिस्टर में शामिल करें। **(संदर्भ– पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, लखनऊ की अध्यक्षता में एस0जे0पी0यू0, लखनऊ की बैठक, दिनांक 18.11.2017 का कार्यवृत्त (छायाप्रति संलग्न))**
- ✓ सभी आसपास के या संभावित क्षेत्रों में तुरंत वायरलैस के माध्यम से बच्चे के प्राप्त होने की सूचना प्रसारित करें। **(संदर्भ– पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, लखनऊ की अध्यक्षता में एस0जे0पी0यू0, लखनऊ की बैठक, दिनांक 18.11.2017 का कार्यवृत्त (छायाप्रति संलग्न))**
- ✓ यदि कहीं भी ऐसे बच्चों का शोषण होता दिखाई पड़े या इसकी सूचना प्राप्त हो तो तुरंत कार्यवाही कर बच्चों को सुरक्षा दी जाये व बच्चों को भावनात्मक सहयोग व पुर्नवास हेतु चाइल्डलाइन 1098 या किसी पंजीकृत स्वंयसेवी संस्था से संपर्क किया जाये। बच्चों के लिये कार्यरत् संस्थाओं के साथ समनवय स्थपित करें। **(संदर्भ– पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, लखनऊ की अध्यक्षता में एस0जे0पी0यू0, लखनऊ की बैठक, दिनांक 18.11.2017 का कार्यवृत्त (छायाप्रति संलग्न))**

कानून से अवरोध की स्थिति में प्राप्त बालकों के संबंध में (धारा 10/12/13 व नियम 8/9/69 (डी)):

- ✓ कानून से अवरोध की स्थिति में प्राप्त बालकों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के अंतर्गत जिन मामलों में किशोर द्वारा किया गया जंघन्य अपराध अभिकथित हो, या जब किशोर द्वारा ऐसा अपराध वयस्कों के साथ सम्मिलित रूप से किये जाने का अभिकथन किया गया हो, के सिवाय कोई प्रथम सूचना रिर्पोट पंजीकृत नहीं की जायेगी (नियम–8)।
- ✓ अन्य सभी मामलो में, विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी किशोर द्वारा किये गये अभिकथित अपराध की सूचना साधारण दैनिक डायरी में लिखेंगें, साथ ही प्रारूप–1 में किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि और जहाँ कही लागू हो किशोर को पकड़े जाने की परिस्थितियों की रिर्पोट प्रथम सुनवाई के पहले किशोर न्याय बोर्ड को भेजेंगें। नियम 8 (1)
- ✓ विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को यह ध्यान रखना होगा कि यदि किशोर द्वारा किया गया अपराध जघन्य अपराधों की श्रेणी में आता हो व किशोर को अभिरक्षा में लेना उसके सर्वोत्तम हित में हों तभी उसे अभिरक्षा में लेने की अपनी शक्ति का प्रयोग करें। नियम 8 (1)
- ✓ छोटे–मोटे और गम्भीर अपराधों के अन्य मामलों में जहां किशोर के हित में उसे पकड़ा जाना आवश्यक न हो, उसे नहीं पकडेंगें। ऐसे मामलों में पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, प्रारूप–1 में किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के साथ उसके द्वारा किये गये अभिकथित अपराध के स्वरूप की जानकारी बोर्ड को भेजेंगें तथा उस किशोर के माता–पिता या अभिभावकों को यह सूचित करेंगें कि किशोर को बोर्ड के समक्ष सुनवाई के लिए कब प्रस्तुत होना है। नियम 8 (1)
- ✓ जब विधि का उल्लंघन करने हेतु किसी भी अभिकथित बालक को पुलिस पकड़ती है तब संबंधित पुलिस अधिकारी उस बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में सौपे, जो तत्कालः नियम 8 (2)
  - बालक के माता–पिता या संरक्षक को इस संबंध में सूचित करेगा। साथ ही वह उन्हें बोर्ड का पता, बालक को प्रस्तुत करने की तारीख और समय की जानकारी भी देगा,
  - संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित करेगा ताकि वह बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर सके, जो जांच कार्य में बोर्ड के लिए सहायक सिद्ध हो सकती हो, तथा
  - बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता को सूचित करेगा जिससे वे भी बालक को पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ उपस्थित हों।
- ✓ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम–2015 की धारा 12 के अनुसार, ऐसे किशोर–किशोंरियों को जो जमानतीय या अजमानतीय (Bailable and Non bailable) प्रकरणों में

शामिल हैं, पुलिस द्वारा अपने संरक्षण में लिया जाता है या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, को निम्न अपवादों के अतिरिक्त प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर छोड़े जाने का प्रावधान है– धारा 12 (1)

- जब ऐसा प्रतीत होता है कि उसे छोड़ने से वह अपराधियों की संगत में आ जायेगा,
- उसे छोड़ने पर उसको किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल देगा अथवा
- उसे छोड़ना न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगा।

✓ साथ ही किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम–2015 धारा 14(4) के अनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा छोटे अपराधों में (क्षुद्र/petty offences) यदि 14(2) में निर्धारित अवधि (सामान्य 4 माह विशेष रूप में विस्तारित अवधि 6 माह) के उपरांत भी जांच अनिर्णायक रहती है तो कार्यवाहियाँ समाप्त की जा सकती हैं।

✓ कानून से अवरोध की स्थिति में अभिकथित बालक को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारी: नियम 8 (3)

- बालक को हवालात में नहीं भेजेगा।
- बालक को हथकड़ी या जंजीर नहीं पहनायेगा।
- बालक पर किसी भी प्रकार के दबाव या बल का प्रयोग नहीं करेगा।
- यदि बालक बेवक्त या किसी दूरदराज के स्थान पर पकडा जाता है जहाँ से उसे बोर्ड/या बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करा जा सकता है, वहाँ बालक को अधिनियम की धारा–12 की उप–धारा (2) के अंर्तगत किसी सम्प्रेक्षण गृह या उपयुक्त सुविधा में रखेगा। वहाँ से 24 घंटे के भीतर बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। (नियम 9)
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बालक को रात भर के लिये सुरक्षित आश्रय में भेजने हेतु बालकों की देख–रेख संस्था में लिखित आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ उन परिस्थितियों को जिनमें बालक को पकड़ा या पाया गया है, बालक की चिकित्सा स्थिति दर्शाने वाले सुसंगत दस्तावेजों की प्रति भी होगी। नियम 69 (डी–रात भर संरक्षणात्मक आवास)। उक्त आवेदन पर बालक को संस्था में एक रात के आवास की अनुमति दी जायेगी, ऐसा आवास रात के 8 बजे के बाद और अगले दिन 2 बजे तक हो सकता है।
- आवेदन पर संतुष्ट होने पर प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा प्रारूप–42 तीन प्रतियों में भरा जायेगा और बालक को प्राप्त किया जायेगा। प्रारूप की एक प्रति बाल देख–रेख संस्था के अभिलेख के रूप में रखी जायेगी, एक प्रति बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को दी जायेगी और तीसरी प्रति बोर्ड या संबंधित समिति को उनके अभिलेखों के लिये भेजी जायेगी। बालक को अगले दिन प्रारूप में दिये गये समय पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में सौंप दिया जायेगा। यदि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी दिये गये समय पर बालक का प्रभार नहीं लेता है, तो बाल देख–रेख संस्था के

प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसे तथ्यों का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट के साथ बालक को सबंधित बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। नियम 69 (घ)

- बालक की शारिरिक रूप से तलाशी ली जायेगी और उसका सभी व्यक्तिगत सामान, यदि कोई पाया जाता है तो, उसे लाने वाले बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जायेगा और वह सभी वस्तुओं का अभिग्रहण करेगा और ऐसे अभिग्रहण की एक प्रति प्राप्तकर्ता अधिकारी को भी देगा। नियम 69 (घ)
- बालक को तुरंत उस पर लगाये गये आरोपों की जानकारी उसके माता–पिता या संरक्षक के माध्यम से देगा। यदि कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उसकी प्रति भी बालक को उपलब्ध करायेगा या पुलिस रिपोर्ट की प्रति उसके माता–पिता या संरक्षक को देगा। नियम 8 (3)
- बालक को अपना अपराध स्वीकार करने या किसी कथन पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं करेगें। बालक से बातचीत के समय उसके माता–पिता या संरक्षक वहां उपस्थित हो सकते हैं। नियम 8 (3)
- बालक से बातचीत विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल सहायक परिसरों में की जायेगी, जहां बालक को ऐसा प्रतीत न हो कि वह पुलिस थाने में है या उसे हिरासत में रखकर उससे पुछताछ की जा रही है। नियम 8 (3)
- बालक को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करेगा। आवश्यकता अनुसार बालक को दुभाषिये, विशेष शिक्षक, उपयुक्त चिकित्सा या कोई अन्य सहायता उपलब्ध करायेगा। नियम 8 (3)

✓ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, सादे कपड़ों में होंगे और वर्दी में नहीं होंगें। नियम 8 (4)

✓ सभी पुलिस थानों में निम्न डिसप्ले हो (नियम 8(6)) :

- विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों का सम्पर्क विवरण।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की सूची और उनके सम्पर्क विवरण।
- बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट और सदस्यों का सम्पर्क विवरण।
- बाल कल्याण समिति के चेयरपर्सन व सदस्यों का सम्पर्क विवरण।
- जिला बाल संरक्षण ईकाई के संपर्क विवरण।
- चाइल्डलाइन सेवा का सम्पर्क विवरण।
- बाल कल्याण अधिकारी का सम्पर्क विवरण।
- परिवीक्षा अधिकारी का सम्पर्क विवरण।
- अर्ध विधिक स्वंयसेवियों का सम्पर्क विवरण।

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सम्पर्क विवरण।
- पंजीकृत स्वैच्छिक और गैर–सरकारी संगठनों का सम्पर्क विवरण।

✓ जब किसी मामले में बालक को अभिरक्षा में नही लिया जाता है, तब माता–पिता या संरक्षक या उस उपयुक्त व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में अभिकथित बालक को रखा गया है, गैर–न्यायिक कागज पर प्रारूप–2 में एक वचन पत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, ताकि जांच या कार्यवाही की तारीखों को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। नियम 8 (7)

✓ पुलिस, विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालकों के साथ रहने की अवधि में उन बालकों के लिए भोजन, यात्रा खर्च, आकस्मिक चिकित्सीय देखरेख सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए खर्च राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई निधियों से वहन करेंगें। नियम 8 (9), नियम 83(4)(ix)

✓ नोडल अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई प्रतिमाह तथा जनपद के पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारी/बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, संप्रेक्षण गृहों के अधीक्षकों, जिला बाल संरक्षण इकाईयों, अभियोजन अधिकारियों, चाइल्डलाइन, गृहों के साथ कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, यूनिसेफ टीम, आदि के साथ बैठक कर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्राविधानों की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा की जाये। **(संदर्भ– पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या – म0स0प्र0/डी0जी0/जे0जे0 एक्ट/2017/746 (छायाप्रति संलग्न))**

पॉक्सो अधिनियम–2012:

✓ पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 19 के अनुसार किसी भी व्यक्ति या बच्चे द्वारा की गयी रिपोर्ट पुलिस द्वारा सरल भाषा में लिखी जायेगी जिससे वे उसे आसानी से समझ सके।

✓ यदि बच्चों को/की भाषा समझने में कोई दिक्कत है तो पुलिस द्वारा अनुवादक या दुभाषीय की सहायता ली जाएगी। धारा 19/26

✓ बिना विलंब बच्चों के संबंध में सूचना 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायलय में देंगे। जिन जनपदों में विशेष न्यायलय नहीं है और वहाँ विशेष न्यायालय के रूप में सत्र न्यायलय कार्यरत् है, को रिपोर्ट करेंगे। धारा 19

✓ बच्चे को यदि चिकित्सा या देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता है तो उसे फौरन नियम 5 के अनुसार नजदीकी चिकित्साल्य ले जायेंगें या आवश्यकतानुसार बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार बाल देखरेख संस्थान में आश्रय दिलायेंगे।

- ✓ रिपोर्टकर्ता की जानकारी गोपनीय रखी जायेगी तथा पुलिस को अपराध की जानकारी देने पर (सिविल या दांडिक) उसका कोई दायित्व उपगत नहीं होगा। धारा 19
- ✓ नियम 4 के अनुसार रिपोर्ट लिख रहे पुलिस कर्मी द्वारा बच्चों/रिपोर्टकर्ता को अपना नाम, पदनाम, पता व दूरभाष नंबर, तथा अपने पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम, पता और संपर्क नंबर उपलब्ध कराना है।
- ✓ रिपोर्ट कर रहे व्यक्ति या बच्चे को एफ0आई0आर0 की एक निशुल्क प्रति उपलब्ध कराना है। नियम 4
- ✓ बच्चे, उसके माता–पिता या उसके विश्वासपात्र व्यक्ति को अधिनियम की धारा 40 के अनुसरण में विधिक सलाह के अधिकार और परामर्श तथा किसी अधिवक्ता द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किए जाने के अधिकार के बारे में सूचना देना पुलिस का दायित्व है।
- ✓ नियम 4 के उपनियम 11 के अनुसार जिन प्रकरणों में बाल कल्याण समिति/विशेष न्यायालय द्वारा "सहायक व्यक्ति" नामित किया गया है वहाँ "सहायक व्यक्ति" को प्रकरण की प्रगति के बारे में सूचना देने का उत्तरदायित्व भी पुलिस का है जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी, फाइल किए गए आवेदन और अन्य न्यायिक कार्यवाहियाँ शामिल हैं।
- ✓ धारा 27 के अनुसरण में बच्चे को चिकित्सा प्रक्रिया/स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल) हेतु चिकित्सालय ले जाना।
- ✓ नियम 5 के अनुसार बच्चे को पुलिस अधिकारी यथाशीघ्र 24 घंटे के भीतर आपात चिकित्सा देखरेख के लिए निकटतम चिकित्सालय ले जाना। आपात चिकित्सा देखरेख (परीक्षण), बच्चे के माता –पिता या संरक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिती में जिस पर बच्चे का भरोसा और विश्वास है, की जाएगी।

एस0जे0पी0यू0 मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 18 नवम्बर 2017 समय–16:00–18:00 बजे
स्थान–संगोष्ठी सदन, पुलिस लाईन, लखनऊ

गोष्ठी मे निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारियो ने भाग लिया।

1. डा0 सतीश कुमार , पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जनपद लखनऊ।
2. श्री सी पी राय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी जनपद लखनऊ।
3. श्री महर्षि अग्निहोत्री, प्रतिनिधि महिला सम्मान प्रकोष्ठ जनपद लखनऊ उ.प्र0।
4. श्रीमती नीलोफर खान, प्रतिनिधि महिला सम्मान प्रकोष्ठ जनपद लखनऊ उ0प्र0।
5. सुश्री अंजली सिंह, प्रतिनिधि, सेव द चिल्ड्रेन, लखनऊ।
6. सुश्री आसमां जुबैर, संरक्षण अधिकारी, लखनऊ।
7. श्री नीरज मिश्रा, प्रतिनिधि डा0 राममनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ।
8. श्री रवि शंकर प्रदेश समन्वयक, बचपन बचाओ आन्दोलन जनपद लखनऊ।
9. श्री अगरेन्द्र कुमार, टीम मेंबर चाइल्ड हेल्प लाईन सिविल लखनऊ।
10. श्री राम किशोर वर्मा समन्वयक जी0आर0पी0 चाइल्ड हेल्प लाईन लखनऊ।
11. एस0जे0पी0यू0 शाखा के प्रभारी एवं कर्मचारीगण जनपद लखनऊ।
12. ए0एच0टी0यू0 शाखा के प्रभारी एवं कर्मचारीगण जनपद लखनऊ।
13. समस्त थानो मे नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी जनपद लखनऊ।

दिनांक 18.11.2017 को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की अध्यक्षता मे उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ पुलिस लाइन सभागार मे किशोर न्याय (बालको की देख–रेख व संरक्षण) अधिनियम–2015 मे पुलिस से सम्बन्धित मुख्य प्राविधान धारा संख्या–10,12,13,36,49,74, व 107 मे दिये गये है एवं न्याय किशोर (बालको की देख–रेख व संरक्षण)माडल–2016 मे पुलिस से सम्बन्धित मुख्य प्राविधान नियम–8,9,54,55,86,89, एवं 92 मे दिये गये उपबन्धो की जानकारी हेतु बैठक की गयी एवं पिछली बैठक के बाद हुए कार्यो की समीक्षा की गयी तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुपालन हेतु माडल नियमावली से भी अवगत कराया गया।

डा0 सतीश कुमार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद लखनऊ ने बच्चो के लिए किये जा रहे प्रयासो को एकजुट एवं नियमित होने की जरूरत पर पुनः बल दिया। उन्होने कहा कि इस माह मे सभी थानो मे बाल कल्याण पुलिस अधिकारियो को सी0यू0जी0 नम्बर शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देश करे एव पूर्व में नाम व मोबाइल नम्बर की पट्टिकाये लगवायी जाने की बात पर पुनः बल दिया तथा बाल कल्याण पुलिस अधिकारियो के नं0 के साथ–साथ 1098 व 181 नम्बर थानो मे अंकित किये जाने हेतु निर्देशित किया। जिससे कोई भी जरूरतमन्द व्यक्ति आसानी से बाल कल्याण पुलिस अधिकारियो से सम्पर्क कर सकें। बच्चों के अपराध सम्बन्धी अभिलेखों को अद्यावधिक करने के भी निर्देश दिये।

श्री महर्षि अग्निहोत्री, (समन्वयक) प्रतिनिधि महिला सम्मान प्रकोष्ठ लखनऊ उ0प्र0 द्वारा किशोर न्याय (बालको की देख–रेख व संरक्षण) अधिनियम–2015 मे पुलिस से सम्बन्धित मुख्य प्राविधान धारा संख्या–10,12,13,36,49,74, व 107 मे दिये गये है एवं न्याय किशोर (बालको की देख–रेख व संरक्षण) माडल–2016 मे पुलिस से सम्बन्धित मुख्य प्राविधान नियम–8,9,54,55,86,89, एवं 92 मे दिये गये उपबन्धो की जानकारी से अवगत कराया गया।

श्री. सी0पी0 राय, एस0पी0ओ0, जनपद लखनऊ द्वारा सभी को किशोर न्याय अधिनियम 2015 को सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु आदर्श नियमावली में वर्णित पुलिस की भूमिका व दायित्वों के बारे मे अवगत कराया गया। बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को कार्य करने हेतु उचित सुझाव दिये एवं अपने स्तर कार्यशाही में होने वाली दिक्कतों को दूर करने में सहयोग किये जाने का आश्वासन दिया गया। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो के विरूद्ध अपराधो मे एफआईआर नही लिखी जायेगी, जब तक बच्चे द्वारा

किये गये कृत्य मे सात वर्ष या उससे अधिक सजा का प्राविधान न हो, या ऐसे कृत्य मे बच्चे के साथ कोई वयस्क शामिल न हो। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी फार्म 1 व 17 के साथ किशोर /पीडित को निर्धारित समय सीमा मे ही किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

श्री नीरज मिश्र, प्रतिनिधि डा0 राममनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ ने अपने सम्बोधन मे विशेष किशोर पुलिस इकाई के माध्यम से अभिलेखीकरण के बारे में जोर दिया। उन्होंने प्रतिभागियो को किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उन प्राविधानो से अवगत कराया जिनमे किशोरो के मामलो मे एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। उन्होने बताया कि 04 माह से अधिक अवधि के गुमशुदा बच्चों की विवेचना ए0एच0टी0यू0 को स्थानान्तरित की जानी चाहिये। विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा वाट्सअप ग्रुप बनाकर बाल कल्याण अधिकारियों को जोड़ने का सुझाव दिया।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंर्तगत कानून से अवरोध व संरक्षण व देखभाल की स्थितियों में प्राप्त किशोर–किशोरियों के संबध में उक्त वक्ताओं द्वारा दी गई समस्त जानकारी कार्यवृति के साथ संलग्न है।

बैठक में निम्न निर्देश जारी किये गये:–

1. विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा शीघ्र ही सामाजिक कार्यकर्ताओं को नामित कर सम्बन्धित संस्थाओ व विभागो को अवगत कराया जाये।
2. यदि अभी तक सभी थानो मे दो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी जिसमे कम से कम एक पुलिस अधिकारी जो सहायक उ0नि0 स्तर से कम का न हो तथा एक महिला कर्मचारी को नियुक्त ना किया गया हो तो तत्काल ही उन्हें नामित करें। जिनके द्वारा ही बच्चों सम्बन्धित मामले देखे जायें व बरामदगी हेतु हर सम्भव प्रयास किये जायें।
3. सभी थानो पर विशेष किशोर इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूपो मे रजिस्टर तैयार कराकर सूचना, जिसमें लापरवाही बरती जा रही है वह तत्काल मिलान हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करे।
4. हमेशा बच्चो के सरल भाषा का प्रयोग किया जाये एवं बच्चो के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाये, न उनके सामने अभद्र भाषा का आप द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति से भी प्रयोग न करे।
5. विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक बैठको मे सभी थानो के नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे।
6. इस माह मे सभी थानो मे बाल कल्याण पुलिस अधिकारियो को सी0यू0जी0 नम्बर शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध करायें जायें तथा बाल कल्याण पुलिस अधिकारियो के न0 के साथ–साथ 1098 व 181 नम्बर थानो में अंकित किये जायें।

(डा0 सतीश कुमार)
पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण/नोडल अधिकारी
जनपद–लखनऊ।

प्रतिलिपि–

1. श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उ0प्र0 लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3. श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
4. श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक यूमेन पावर लाईन, 1090, उ0प्र0 लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
5. श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, जनपद लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
6. श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद लखनऊ को सादर आवलोकनार्थ।
7. श्रीमान् मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
8. जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद लखनऊ को अवलोकनार्थ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ

62 टाइप–4 गायरलेरा कालोनी, महानगर उ0प्र0 लखनऊ–226006

दूरभाष– 0522–2325200 ईमेलः uppmsp-up@gov.in

पत्र संख्याःम0स0प्र0/डी0जी0/जेजे एक्ट/2017/746 दिनांक : सितम्बर 01 2017

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक,
समस्त जोन, उ0प्र0।

विषयः किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 107 के अन्तर्गत गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई व ए0एच0टी0यू0 की मासिक समीक्षा व समन्वय बैठक हेतु।

कृपया अवगत हों कि विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) पुलिस विभाग, बालको/जुवेनाइल संबंधी मामलों/प्रकरणों हेतु किशोर न्याय अधिनियम (जे.जे.एक्ट), 2015 के अंर्तगत गठित महत्वपूर्ण इकाई है। जिसके अंतर्गत देखरेख व संरक्षण वाले बच्चों एवंम विधि के साथ संघर्षरत बच्चों के मामलों/प्रकरणों को हैंडल करने की प्रकिया व पुलिस रेस्पांस व व्यवहार को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में परिमाषित किया गया है एवं 35 जनपदों में मानव तस्करी रोकने हेतु ए0एच0टी0यू0 स्थापित की गई है।

विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रभावी संचालन व विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विभागों/एजेंसियों से समन्वय व मासिक समीक्षा बैठक हेतु समय समय पर पुलिस मुख्यालय व महिला सम्मान प्रकोष्ठ के पत्रांक संख्या म.स.प्र./डी.जी./किशोर न्याय /2015 दिनांकित नवम्बर 25, 2016 में दिशानिर्देश दिये जाते रहे हैं परन्तु अधिकतर जनपदों में विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा बैठकें नियमित आयोजित नहीं हो रही हैं।

विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) की समीक्षा बैठकों में थाना स्तर के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, जनपद स्तरीय अधिकारियों :– बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिटस को आवश्यक रूप से बैठकों में प्रतिभाग करना है।

अतः समस्त जनपदों के नोडल अधिकारी (जे.जे.एक्ट)/पुलिस अधीक्षक, (अपराध) के नेतृत्व में ए0एच0टी0यू0 व विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) की नियमित मासिक समीक्षा/समन्वय बैठक आयोजित करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करते हुए इस माह की जनपदों की अनुपालन आख्या दिनांक **30.09.2017** तक अधोहस्ताक्षरी को ई–मेल व डाक द्वारा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– समीक्षा बैठकों का प्रस्तावित एजेंडा व दिशा–निर्देश एवं 35 ए0एच0टी0यू0 जनपदों की सूची।

1/9/17

(तनुजा श्रीवास्तव)
अपर पुलिस महानिदेशक
महिला सम्मान प्रकोष्ठ
उ0प्र0 लखनऊ।

विशेष किशोर पुलिस इकाई व एण्टी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की मासिक समीक्षा बैठक हेतु प्रस्तावित एजेण्डा

क. सं.	विषय
01	विशेष किशोर पुलिस इकाई की कार्यप्रणाली की समीक्षा
	• थानों में नियुक्त दो बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की स्थिति व समीक्षा • विभिन्न थानों में जुवेनाइल से संबंधित प्रकरणों का मासिक विवरण व रिपोर्ट • पाक्सो से संबंधित प्रकरणों / रिपोर्टस का विवरण व चर्चा • पाक्सो संबंधित मामलों में पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना की स्थिति
02	एण्टी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की समीक्षा
	• एण्टी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) की कार्यप्रणाली व मासिक कार्यों की समीक्षा • AHTU द्वारा संदिग्ध स्थानों (रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, बार्डर के क्षेत्रों,) की निगरानी हेतु कार्यों पर चर्चा • एण्टी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) में रजिस्टर प्रकरणों /मामलों की समीक्षा व स्थिति • आपरेशन मुस्कान की कार्यप्रणाली व स्थिति पर चर्चा • गुमशुदा बच्चों के चार माह से अधिक लंबित प्रकरणों को AHTU में स्थानांतरित करने हेतु समीक्षा व विवेचना की स्थिति

विशेष किशोर पुलिस इकाई व एण्टी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की मासिक समीक्षा बैठक हेतु दिशानिर्देश

1. विशेष किशोर पुलिस इकाई व 35 जनपदों में स्थापित एण्टी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी– जेजे एक्ट की अध्यक्षता में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जायेगी।

2. समीक्षा बैठक हेतु संबंधित विभागों व एजन्सियों, जिला प्रोवेशन विभाग, श्रम विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, सहायक अभियोजन अधिकारी, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड लाइन, आर.पी. एफ, जी.आर.पी. व जनपद में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जायेगा।

3. मासिक समीक्षा बैठक के दौरान जुवेनाइल से संबंधित प्रकरणों/मामलों की गहन समीक्षा उपरान्त सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान किये जायेंगे।

4. समीक्षा बैठकों में उपस्थिति, मोबाइल नम्बर व कार्यवाही को अंकित करने हेतु विशेष किशोर पुलिस इकाई/ए.एच.टी.यू शाखा में पृथक रजिस्टर रखा जायेगा।

5. समीक्षा बैठक का कार्यक्रम व उपस्थिति विवरण जोन/परिक्षेत्र के माध्यम से महिला सम्मान प्रकोष्ठ को नियमित रूप से प्रेषित किया जायेगा।

6. समीक्षा बैठक का कार्यवृत तैयार करने की जिम्मेदारी विशेष किशोर पुलिस इकाई/एण्टी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को दिया जाना उचित होगा।

7. विशेष किशोर पुलिस इकाई जनपद के समस्त थानों से जुवेनाइल से संबंधित समस्त प्रकरणों का ब्यौरा /रिकार्ड रखेगी।

8. समीक्षा बैठकों में अभियोजन विभाग/जिला शासकीय अधिवक्ता / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों को विशेषज्ञ के रूप में तकनीकि सत्र हेतु आमंत्रित किया जा सकता है।